

फार्म 'अ'
(परिपत्र दो-1 की कंडिका 6 देखिये)
राजस्व आदेश-पत्र (रेवेन्यू ऑर्डर शीट)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डोंगरगांव के न्यायालय में मामला क्रमांक **20250409100001** सन् 2024 -25

विषय - अवैध लकड़ी कटाई

मावजे की श्रेणी अ/62

ग्राम नरेटीटोला बन्दोवस्त क्रमांक पटवारी हल्का क्रमांक तहसील कुमरदा

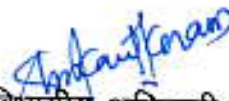
कलेक्टर का क्रमांक सन् 2024-25 अनुविभागीय अधिकारी का क्रमांक सन् 2024-25

तहसीलदार का क्रमांक सन् 2024-25 नायब तहसीलदार का क्रमांक सन् 2024-25

आदेश अथवा कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आदेश अथवा कार्यवाही छ.ग.शासन वि. लोमस	जहां आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों के हस्ताक्षर, आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और ऐसे पालन की तारीख
1	2	3
22.04.2025 	तहसीलदार कुमरदा के ज्ञापन क्रमांक/133/तह./2025 छुरिया, दिनांक 01.04.2025 अनुसार ग्राम नरेटीटोला, प.ह.नं. 04, रा.नि. मं. कुमरदा, तहसील कुमरदा, जिला राजनांदगांव का निवासी लोमस आ. सुन्हेर एवं अन्य, जाति कंवर के नाम पर कुल खसरा नंबर 10 कुल रकबा 3.068 हे. भूमि स्वामी राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी हक में दर्ज है। उपरोक्त भूमि पर अवैध रूप से रखे हुए लगभग 10 माजदा लकड़ी, गुटका, विभिन्न प्रजाति की लकड़ी का भंडारण कर रखा गया था। जिसे जप्ती कर लोमस पिता सुन्हेर कंवर ग्राम नरेटीटोला के सुपुर् दिया गया है। प्रकरण दर्ज करे। प्रकरण में भूमि स्वामी लोमस आ. सुन्हेर, निवासी ग्राम नरेटीटोला, तहसील कुमरदा का शपथपत्र प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने शपथपत्र में बताया है कि ग्राम नरेटीटोला में अपने शामिलत भूमि स्वामी हक में कुल खसरा नंबर 10 रकबा 3.068 हे. भूमि में स्थित करही, रिया, बेर, अर्जुन, कसही, नीम एवं मिश्रित प्रजाति का पेड था जिससे खेती करने में नुकसान हो रहा था, छाया के कारण फसलो को नुकसान हो रहा था। जिसे कटाई कर अपने खेत में रखा था। मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से जलाउ लकड़ी को जय राजपूत आ. लखन सिंह निवासी डोंगरगांव को विक्रय कर दिया हूँ। प्रकरण में तहसीलदार कुमरदा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम नरेटीटोला, तहसील कुमरदा स्थित भूमि कुल खसरा नंबर 10 कुल रकबा 3.038 हेक्टेयर जो कि अनावेदक लोमस आ. सुन्हेर, जाति कंवर, निवासी ग्राम नरेटीटोला के शामिलत भूमिस्वामी हक में दर्ज है। उक्त भूमि पर स्थित करही,	

रिया, बेर, अर्जुन, कसही, नीम एवं मिश्रित प्रजाति के वृक्ष को अवैध रूप से कटाई करवाकर रखा था। अनावेदक द्वारा मिश्रित प्रजाति के वृक्ष को बिना अनुमति के कटाई किये जाने के कारण भू.रा.सं. 1959 के बने प्रावधान के तहत 15000/- (अक्षरी पन्द्रह हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अनावेदक आरोपित अर्थदण्ड की राशि खजाना दाखिल करे। जप्त शुदा मिश्रित प्रजाति के वृक्षों की काष्ठ को अनावेदक के सुपुर्द किया जावे। बाद प्रकरण नस्तीबद्ध कर दा.द. करे।

आज दिनांक 22/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से आदेश पारित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
डोंगरगांव
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

